समाचार–प्रकाशनार्थ :–

नगर के स्वच्छ प्रतिष्ठान हुए सम्मानित

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर के होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, मार्केट एसोशिएशन व हॉकर्स झोन को स्वच्छता एवं इससे संबंधित आवश्यक सुविधाओं के आधार पर अलकापुरो कम्युनिटी हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री विप्लव जैन, पूर्व महापौर परिषद सदस्य श्री भगतसिंह भदौरिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर श्रीमतो दिव्या पाटीदार आदि के द्वारा प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री विप्लव जैन ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र जी मोदी द्वारा चलाये गये स्वच्छता अभियान से नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जाग्रति देखने को मिल रही है बस हम इतना करें कि इस जाग्रति को ओर अधिक गति देकर रतलाम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 बनायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वागत उदबोधन देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत स्वच्छता माह पुरे प्रदेश में मनाया जा रहा है जिसके तहत होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, मार्केट एसोशिएशन व हॉकर्स झोन का स्वच्छता सर्वेक्षण मापदण्ड अनुसार किया जा रहा था तय मापदण्डों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों को आज सम्मानित किया जा रहा है।

उन्होने इस अवसर पर आव्हान किया कि रतलाम नगर को स्वच्छ बनाने हेतु नागरिक कम से कम कचरा उत्सर्जित करें, पॉलीथीन, डिस्पोजल का उपयोग ना करें, 4 प्रकार के अलग–अलग कचरे के लिये 4 डस्टबीन रखें व निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालें, गीले कचरे से अपने घरों में मटके या बाल्टी में जैविक खाद बनाकर अपने उद्यानों को हरा–भरा रखें। ब्रांड एम्बेसेडर श्रीमती दिव्या पाटीदार व दीपिका पटेल ने रतलाम नगर को स्वच्छ रखने हेतु प्रेजेन्टेंशन के माध्यम से अपने विचारों से उपस्थितों को अवगत कराया।

स्वच्छ प्रतिष्ठान सम्मान के तहत होटल–समता सागर होटल महू रोड प्रथम, बालाजी सेन्ट्रल सैलाना रोड द्वितीय, जेएमडी पैलेस सागोद रोड तृतीय, स्कुल–संट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मित्र निवास रोड प्रथम, हिमालय किड्स स्कूल द्वितीय, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल सागोद रोड तृतीय, हॉस्पिटल–आशीर्वाद हॉस्पिटल वेदव्यास कालोनी प्रथम, रतलाम हास्पिटल शास्त्री नगर द्वितीय, आरोग्यम हॉस्पिटल कॉलेज रोड तृतीय, ऑफिस–कार्यालय कलेक्टर महू रोड प्रथम, कार्यालय नगर पालिक निगम कॉलेज रोड द्वितीय, कार्यालय जिला पंचायत कोर्ट तिराहा तृतीय, मार्केट एसोशिएशन– सर्राफा मर्चेन्ट एसोशिएशन प्रथम, क्लॉथ मर्चेन्ट एसोशिएशन द्वितीय, कसेरा मर्चेन्ट एसोशिएशन तृतीय, हॉकर्स झोन–दो बत्ती हॉकर्स झोन प्रथम, कालिका माता हाकर्स झोन द्वितीय व चांदनी चौक हॉकर्स झोन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह सहित प्रतिष्ठान संचालक/पदाधिकारी उपस्थित थे।

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस दिवस का वेतन काटा

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 15 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में जसवंत–रामलाल, विशाल–मुकेश, धीरज–रमेश, श्रवण–दिलीप, विशाल–मुकेश, झोन क्रमांक 2 में सरस्वतीबाई पति धनराज, विमलाबाई पति नारायण, सुनील–श्यामलाल, पुष्पाबाई पति गोपाल, संगीताबाई पति हरीश, शकुन्तलाबाई पति अर्जून, झोन क्रमांक 3 में पवन–राजाराम, शुभम्–राजू, मायाबाई पति राजेश, झोन क्रमांक 4 में अंजूबाई पति सतीश बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 14 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 17.26 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

सुयोग परिसर से 3 अवैध नल कनेक्शन विच्छेद

रतलाम 14 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 14 फरवरी सोमवार को कुल राशि रूपये 17,26,556/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 14 फरवरी सोमवार को संपत्तिकर शिविर से 91157, कार्यालय 515041, वसूली दल 396337 कुल 1002535, जलकर शिविर 46510, कार्यालय 29490, वसूली दल 86020 कुल 162020, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 15551 व वसूली दल 30153 कुल 45704, लीजरेंट 483506, कम्पाउडिंग 31576, लायसेंस 1255 इस तरह कुल राशि रूपये 17,26,596/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा सुयोग परिसर से 3 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया।

खुले में गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 फरवरी को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर नन्दकिशोर राजेन्द्र नगर पर 2000, शिवजी रेस्टोरेंट स्टेशन रोड पर 500, शर्मा रेस्टोरेंट व कार्तिक रेस्टोरेंट स्टेशन रोड पर 250–250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताऐं

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जिंगल, मूवी, ड्राइंग, म्यूरल एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । उन्हीं में से हर एक प्रतियोगिता में से तीन तीन विजेताओं को नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा सम्मानित किया गया।

जिंगल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार शाकिर अली जी को, द्वितीय पुरस्कार कमल कुमार जी, तृतीय पुरस्कार अभिजीत ऊंटवाल जी को प्राप्त हुआ।मूवी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पुष्पेंद्र चौहान जी, द्वितीय पुरस्कार जोया जमना निनामा जी, तृतीय पुरस्कार अभिषेक कण्डारे जी को प्राप्त हुआ स ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मुस्तफा खान जी को, द्वितीय पुरस्कार राजेश प्रजापति जी को, तृतीय पुरस्कार दीपिका डबरे जी को प्राप्त हुआ स नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पुष्पेंद्र चौहान और उनकी टीम के सदस्य कार्तिक, शशांक, धीरेन्द्र को, द्वितीय पुरस्कार अभिषेक कण्डारे और उनकी टीम के सदस्य ऋतिक, करन, मोहित को, तृतीय पुरस्कार आदर्श कण्डारे और उनकी टीम के सदस्य सविता, जोया, दिनकर को प्राप्त हुआ।म्यूरल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार शशांक धवरी को, द्वितीय पुरस्कार धीरेंद्र सिंह को, तृतीय पुरस्कार करण भदौरिया को प्राप्त हुआ।नगर पालिक निगम रतलाम ने उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना की गई।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किया जीरो वेस्ट कार्यक्रम आयोजित

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत रतलाम नगर पालिक निगम ने जीरो वेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया। प्रेरणा कार्यशाला के तहत आयोजित कार्यक्रम को जीरो वेस्ट कार्यक्रम बनाया गया।कार्यक्रम में सिर्फ काँच की बोतलों का उपयोग किया गया एवं आगंतुकों के लिए पानी के जार रखे गए।किसी भी तरह का डिस्पोज़ल कार्यक्रम में पूरी तरह बैन किया गया।पैर से चलित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग किया गया एवं स्वच्छ कार्यक्रम का बैनर भी कपड़े के द्वारा डिज़ाइन किया गया ।साथ ही हरे हर नीले डस्टबिन्स को उचित दूरी पर रखा गया जिनमे "हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी" एवं "हर दिन दो बिन"के संदेश लगाए गए एवं कार्यक्रम को जीरो वेस्ट कार्यक्रम घोषित किया गया।

सायर चबुतरा पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 73.4 लाख व जलकर 17.57 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 14 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/– व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/– व जलकर 1,56,600/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/– व जलकर 1,67,280/–, किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/– व जलकर 76,625/–, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/– व जलकर 37,520/–, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/– व जलकर 72,860/–, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87,741/– व जलकर 37,140/– पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 2,81,036/– व जलकर 89,570/–, चौगानिया भैरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर... की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

14 फरवरी को 2.52 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 14 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया क निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 14 फरवरी सोमवार को 2.52 मिट्रिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

14 फरवरी सोमवार को डम्पर से 31280, ट्रेक्टर से 11355, काम्पेक्टर सूखा कचरा 11495, काम्पेक्टर गीला कचरा 18780, डम्पर नाला मलबा 164310, ट्रेक्टर नाला मलबा 10285, मैजिक सूखा 2955 व मैजिक गीला 1990 किलो इस तरह कुल 252450 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

28 फरवरी तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 14 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति

के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 14 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 196 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 14 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाहो निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन पभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किय जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निदंशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/14.02.2022/न.पा.निगम, रतलाम.